रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 1987/माघ 2, 1908
No. 29] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 1987/MAGHA 2, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a *separate compilation*

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1987

आदेश

का. आ. 30(अ):—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कागज (उत्पादन विनियमन) आदेश, 1978 को तात्कालिक प्रभाव से, उन बातों को छोड़ कर, जिन्हें इस प्रकार निरसित आदेश के अधीन किया गया है या किए जाने से लोप किया गया है, निरसित करती है।

[सं. 12/43/85-कागज]

एस. के. लाल, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 22nd January, 1987

ORDER

S.O. 30(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby repeal the Paper (Regulation of Production) Order, 1978 with immediate effect, except as respect things done or omitted to be done under the Order so repealed.

[No. 12/43/85-Paper]

S. K. LALL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987